

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 17.05.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रिकू भारती पुत्र मस्तराम निवासी चौबेपुर (डीह) थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 227/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को०मनकापुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. लल्लू सिंह पुत्र परशुराम निवासी भिटौरा मनकापुर गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 287/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 17.05.2023

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने मु0अ0स0 225/2023 धारा 498A, 306 भा0द0वि0 सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कलऊ को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त अपनी पत्नी को आपसी मतभेद के चलते मारता पीटताथा जिससे आहत होकर पीडित ने आत्महत्या कर लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत करायी थी। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कलऊ पुत्र नियाज निवासी साहबदीन पुरवा मौजा जयराम जोत थाना कटराबाजार जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 225/2023 धारा 498A, 306 भा0द0वि0 थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 सावन सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 17.05.2023

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना अभियुक्त राजाबाबू शुक्ला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 64 गोली अलप्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजाबाबू शुक्ला पुत्र बेनीमाधव शुक्ला निवासी ईश्वरनाथ पुरवा मौजा कन्छर थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-379/23, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 64 गोली अलप्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० डिग्री प्रसाद गौतम मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 17.05.2023

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त 01. रमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त वादी की पुत्री को आये दिन परेशान कर आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया था। जिससे पीडित आहत में आकर आत्महत्या कर लिया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रमेश कुमार पुत्र लल्लन निवासी वैश्य पुरवा मौजा गंगरौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 161/2023 धारा 306 भा0द0वि0 थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 राकेश मय टीम थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।